GCMS No.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	अधिवक्ता के अवकाश पर होने के चलते पत्रावली पेश नहीं कर सके। अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्रावली अगली तिथि 25/03/25 को पेश हो।	
	सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जैतारण, जिला-ब्यावर	
25/03/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० उपस्थित। अधिवक्ता साथियों के मूल वाद में अवकाश होने से सामान की प्रति पेश करने का समय चाहते हैं, अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रा० आगामी दिनांक 6/8/25 को पेश हो।	
	सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जैतारण	
06/05/25	पत्रावली पेश हुई। वकु उप०। पत्रावली में मूल वाद की आदेशिका दिनांक 06/05/25 का अवलोकन किया गया। आदेशिका दिनांक 06/03/25 के अनुसार वादी अर्थी द्वारा जवाबदावा की पालना में प्रतिवादी की तरफ से अधिवक्ता द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत की प्रति प्रस्तुत नहीं करने के कारण मूल वाद अंतर्गत धारा 86, 53, 34 एवं 35 का प्रकरण तकमील में खारिज किया जाता है। मूल वाद प्रकरण तकमील में खारिज होने के फलस्वरूप प्रकाश के लिये प्रकाश की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः फलस्वरूप प्रकाश अंतर्गत धारा 212 सिविल के भी खारिज किया जाता है। पत्रावली अंतिम रूप से निस्तारित होकर नस्ती के योग्य है। वाद तकमील पश्चात प्रविष्ट दफ्तर सेरेस्ता किया जावे।	
	सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जैतारण, जिला-ब्यावर	